न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
70 / प्रा.पत्र / 2008	06.10.2008	24.01.2020

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली, जिला बून्दी।
– प्रार्थी

बनाम

भूत्या आ. रतना जाति भील निवासी ठीकरदा (मृतक) कायम मुकाम शोजी पुत्र भूत्या, तुलसा बाई, काली बाई, बजरंगी बाई, पुत्रियां भूत्या जाति भील।
– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 25.11.1975 निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :–
प्रार्थी कीं ओर से – पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से – श्री नवेद केसर, अभिभाषक।

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के पिता भूत्या आ. रतना जाति भील निवासी ठीकरदा को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन खसरा नं. 159 / 97 रकबा 05 बीघा को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण व अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर स्वयं द्वारा काश्त नहीं की गई है। वर्तमान में आवंटी का मौके पर आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा भूमि का अवेध बेचान किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण अभिभाषक ने बहस के दौरान अपने प्रस्तुत जवाब को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी आवंटी भूत्या सद्भावी कृषक नहीं होने, आवंटी द्वारा स्वयं काश्त नहीं करने, वर्तमान में आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने एवं आवंटी द्वारा भूमि का अवेध बेचान करने के आधार पर आवंटी स्वर्गीय भूत्या के पक्ष में आवंटित भूमि ख. सं. 159/97 रकबा 05 बीघा ग्राम जयनिवास आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है। आवंटी स्वर्गीय भूत्या आ. रतना जाति भील अनु. जन जाति का भूमिहीन काश्तकार होने से उसे नियमानुसार भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटी सद्भावी कृषक था। आवंटन के पश्चात् आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर काबिज होकर काश्त की गई है। आवंटी के स्वर्गवास के पश्चात् आवंटी के वारिसान द्वारा आवंटी भूमि पर काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे हैं। अप्रार्थीगण का नामा. सं. 127 दिनांक 19.04.2008 को बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर टेकचंद आ. भूरा जाति माली द्वारा सन् 2006 में जबरन कब्जा कर लेने पर अप्रार्थीगण ने तहसीलदार हिण्डोली के न्यायालय में 183 बी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र देकर कब्जेधारी को बेदखल कर प्रार्थीगण को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा दिनांक 03.08.2010 को आदेश पारित कर आवंटित भूमि ख.नं. 159/1997 रकबा 05 बीघा ग्राम जयनिवास पर अप्रार्थीगण को कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया था। उक्त आदेश की पालना में अप्रार्थीगण को उक्त भूमि पर मौके पर कब्जा दिलाया गया है और मौके पर अप्रार्थीगण शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। आवंटी द्वारा भूमि बेचान का तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है जो गलत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण के पिता भूत्या आ. रतना जाति भील को ग्राम जयनिवास तहसील हिण्डोली में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25.11.1975 को भूमि ख.नं. 97 रकबा 05 बीघा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत् 2064-2067 के खाता सं. 53 में आवंटी भूत्या आ. रतना भील निवासी ठीकरदा गैर खातेदार दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2064-2067 में फसल सूड, मक्का, गेहू गैरखातेदार के नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण के पिता भूत्या आ. रतना को दिनांक 25.11.1975 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थी तहसीलदार ने

अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त होने बाबत् कोई दस्तावेज राजस्व रेकार्ड पेश नहीं किया है। जिससे आवंटी के अलावा अन्य का कब्जा काश्त साबित होता हो। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के पिता भूत्या को किया गया आवंटन दिनांक 25.11.1975 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)